फर्द अहकाम

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर) — मोहन बनाम राज० सरकार

वाद

केस संख्या 577/234/02

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	26/8/19	29/8/19 [signature]
	29/8/19	वि०फ० उपरो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गौर अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार चौमूं की तथ्यात्मक रिपोर्ट (संलग्न प्र०पत्र 136 LR Act की पत्रावली में) एवं पक्षकारान के मध्य हुये राजीनामे के अनुसार वादीगण का वाद-पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में अन्तिम डिक्री जारी हो। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला--जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–577/234/02

उनवान

1. मोहरु पुत्र मुन्ना,
2. भूदा पुत्र मुन्ना (मृतक दौराने वाद)
   2/1. रुडमल पुत्र स्व0 भूदा
   2/2 गंगाराम पुत्र स्व0 भूदा
   2/3 पप्पूराम पुत्र स्व0 भूदा
   2/4. जडाव देवी बेवा स्व0 भूदा
   2/5. गुलाब देवी पुत्री स्व0 भूदा
   2/6. रामेश्वरी देवी पुत्री स्व0 भूदा
   2/7. अणची देवी पुत्री स्व0 भूदा
   2/8. नान्छी देवी पुत्री स्व0 भूदा
   2/9. कमला देवी पुत्री स्व0 भूदा
3. सुन्दरी देवी पत्नि पूराराम (मृतक दौराने दावा)
   3/1. काना पुत्र पूराराम
   3/2. रामेश्वर पुत्र पूराराम
   3/3. रामलाल पुत्र पूराराम
   3/4. भगवानसहाय पुत्र पूराराम
4. रामगोपाल पुत्र बालू (मृतक दौराने वाद)
   4/1. मोहन पुत्र रामगोपाल
   4/2. हरफूल पुत्र रामगोपाल
   4/3. दौलतराम पुत्र रामगोपाल
   4/4. मदनलाल पुत्र रामगोपाल
   4/5. बीरबल पुत्र रामगोपाल
   5/1. चौथी पत्नि स्व0 सूज्या
   5/2. झूंथाराम पुत्र स्व0 सूज्या
   5/3. महादेव पुत्र स्व0 सूज्या
   5/4 पीताराम पुत्र स्व0 सूज्या
   5/5 सागरमल पुत्र स्व0 सूज्या
   5/6 गोपाल पुत्र स्व0 सूज्या
   5/7 कालूराम पुत्र स्व0 सूज्या
   5/8 फूलचन्द पुत्र स्व0 सूज्या
   5/9 बनवारी लाल पुत्र स्व0 सुज्या

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम विजयनगर, हस्तेडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूधारक, तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. पारा देवी पत्नि प्रभात पुत्री चौथू
3. प्रभात पुत्र नामालूम (मृतक दौराने दावा)
4. रामलाल पुत्र प्रभात
5. जगदीश पुत्र प्रभात, समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम विजयनगर, हस्तेडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर(राज0)।

–प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

दावा बाबत दुरुस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :–29.08.2019

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादीगण की शामलाती कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नं0 724, 725, 726, 727, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740 कुल किता 15 का रकबा 91 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम हस्तेडा तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित है, जिसके हाल बन्दोबस्त में नये खसरा नम्बर 1154 रकबा 1.27 है0, खसरा नम्बर 1155 रकबा 1.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 1156 रकबा 0.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 1160 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 1165 रकवा 0.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 1166 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 1167 रकबा 1.07 है0, खसरा नम्बर 1168 रकबा 0.66 है0, खसरा नम्बर 1169 रकबा 0.84 है0, खसरा नम्बर 1170 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 1171 रकबा 1.25 है0, खसरा नम्बर 1176 रकबा 0.78 है0, खसरा नम्बर 1177 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 1178 रकबा 0.61 है0, खसरा नम्बर 1179 रकबा 0.68 है0, खसरा नम्बर 1180 रकबा 1.15 है0, खसरा नम्बर 1181 रकबा 7.12 है0, खसरा नम्बर 1183 रकबा 1.14 है0, खसरा नम्बर 1184 रकबा 0.82 है0, खसरा नम्बर 1185 रकबा 0.57 है0, खसरा नम्बर 1186 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 1187 रकबा 0.57 है0, खसरा नम्बर 1188 रकबा 0.72 है0, खसरा नम्बर 1189 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 1190 रकबा 0.92 है0 किता 25 का कुल रकबा 23.09 हैक्टर कायम हुये। उक्त वर्णित आराजी के वादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार काबिज खातेदार काश्तकार है। अन्य किसी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। उक्त वर्णित आराजी के हाल सेटलमेन्ट में बने नये खसरा नम्बर 1181 रकबा 7.12 हैक्टर का निर्माण पुराने खसरा नम्बर 736 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा खसरा नम्बर 724 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 725 रकबा 9 बीघा को मिलाकर हुआ अर्थात नये खसरा नम्बर 1181 का निर्माण पुराने तीन खसरा नम्बर 724, 725, 736 को मिलाकर किया गया लेकिन दौराने सेटलमेन्ट पुराने खसरा नम्बर 736 की दक्षिणी सींव को पूर्वी किनारे की ओर से उत्तर दिशा की ओर दबा दिया गया एवं नये नम्बर 1181 की पूर्वी किनारे की दक्षिणी सींव को पूराने इन्द्राज से परिवर्तित कर नयी सींव कायम कर दी जबकि मौके पर नये खसरा नम्बर 1181 की स्थिति आज भी पुराने खसरा नम्बर 724, 725, 736 के अनुसार विद्यमान है। उक्त सींव को विवादग्रस्त सींव से सम्बोधित किया गया है। बन्दोबस्त कार्यवाही के दौरान बन्दोबस्त अधिकारी को मात्र पूर्व इन्द्राज को दोहराने की ही शक्तियां प्रदान की गई है। बन्दोबस्त अधिकारी को किसी खातेदारी जमीन को कम या अधिक करने तथा सींव परिवर्तन करने का कोई अधिकर प्राप्त नहीं है। बन्दोबस्त कार्यवाही के दौराने वादीगण की भूमि के पुराने खसरा नम्बर 736 की दक्षिणी सींव को पूर्वी किनारे की ओर से

सहायक कलक्टर चौमूं (फास्ट ट्रैक) जयपुर

Scanned by CamScanner

े नम्बर 1181 बनाते समय उत्तर की ओर दबाकर राजस्व नक्शे में की गई सींव का परिवर्तन कर इन्द्राज पूर्णतया अवैध एवं क्षेत्राधिकार विहिन है एवं बमुकाबले प्रार्थी/वादीगण निरर्थक व प्रभाव शून्य है। एवं उक्त इन्द्राज से वादीगण के हितो पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। खसरा नं0 1181 के दक्षिण दिशा में स्थित पडोसी खातेदारी प्रतिवादीगण 2 ता 5 ने दिनांक 23.11.2002 को वादीगण को धमकी दी की हम सीमा ज्ञान नये नक्से से करवा देंगे और तुम्हारे खसरा नं0 1181 पर कब्जा करेंगे जो जी आये कर लेना आदि–आदि धमकीयां देने पर वादीगण ने राजस्व रिकॉर्ड निकलवाया तब वादीगण को पता चला की बन्दोबस्त कर्मचारियों ने वादीगण की खातेदारी के पुराने खसरा नम्बर 736 की दक्षिणी सींव को दोराने सेटलमेन्ट पुराने नक्शे से परिवर्तित कर नया नम्बर 1181 बनाते समय उत्तरी दिशा की और धकल दिया। इसी कारण यह वाद पेश करना लाजमी आया। वादीगण को अधिकार हांसिल है कि वे दोहराने सेटलमेन्ट वादीगण की खातेदारी की जमीन पुराने खसरा नं0 736 की दक्षिणी सींव में जो परिवर्तन बन्दोबस्त अधिकारियों द्वारा अवैधानिक रुप से कर दिया गया उसको दुरुस्त करवाये एवं राजस्व नक्शे में हाल खसरा नम्बर 1181 की दक्षिणी सींव में संशोधन करवाकर पुराने नं0 736 (पुर्व रिकॉर्ड) के अनुसार सींव कायम करवायें। प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही है कि वे बन्दोबस्त अधिकारियों द्वारा की गई क्षेत्राधिकार विहीन प्रविष्टी के आधार पर सीमाज्ञान करवाकर वादीगण की आराजीयात पर कब्जा करें, या अवेध इन्द्राज का गलत फायदा उठाकर वादीगण की कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करें। वादीगण ने वाद पेश कर अनुतोष चाहा है कि वाद बाबत् दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा का डीक्री किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 को आदेश प्रदान किया जावें की वे वाद पत्र में वर्णित हाल खसरा नम्बर 1181 की दक्षिणी सींव को बन्दोबस्त के पूर्व के खसरा नम्बर 736 के अनुसार दुरुस्त करें एवं राजस्व नक्सा हाल के इस आशय के संशोधन का इन्द्राज किया जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जावें कि वे विवादग्रस्त सींव खसरा नम्बर 1181 की सीमाज्ञान व पत्थर गढी नहीं करें, न ही पूर्व की कायम सींव में तोड–फोड करें तथा विवादग्रस्त सींव के वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा नहीं करें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत किया है कि वादी खसरा नम्बर 1181 रकबा 7.12 हैक्टर होना मानता है जबकि साबिक खसरा नम्बर 736, 724, 725 कुल किता 3 का कुल रकबा 25 बीघा 2 बिस्वा है। ऐसी परिस्थितियों में 3 बीघा जमीन वादी के हिस्से में कहां से ज्यादा आई वादी ने यह उल्लेख नहीं किया है जिससे स्पष्ट होता है कि वादीगण स्वच्छ हाथो से अदालत के समक्ष नहीं आये है। और बद्नियति गलत तथ्यों के आधार पर झूठा दावा मिन प्रतिवादीगण को हैरान व

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

परेशान करने की गरज से पेश किया गया है। जो सरसरी रुप से खारिज किये जाने योग्य है। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा अपने कर्तव्यों की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया गया है जो फाईनल हो चुका है। खसरा नम्बर 1181 का रकबा 3 बीघा ज्यादा है इससे स्पष्ट है कि मिन प्रतिवादीनी संख्या 2 द्वारा किसी भी प्रकार का कोई जमीन वगै0 नहीं दबाई गई और जो रिकॉर्ड भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार किया गया वह फाईनल रिकार्ड है जिसे सक्षम कोर्ट में यदि कोई आपत्ति थी तो आपत्ति व उज्रदारी वादीगण कर सकते थे लेकिन मिन प्रतिवादिनी संख्या 2 के काश्तकारी अधिकारों व साम्पतिक अधिकारों पर कुठाराघात पहुंचाने की गरज से माननीय अदालत के समक्ष गलत तथ्य बतला कर झूठा दावा पेश किया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 को गलत रुप से पक्षकार बनाया गया है व दिनांक 03.11.2002 का तथाकथित वाद कारण झूठा व बेबुनियाद है। मिन प्रतिवादीगण खसरा नम्बर 1181 पर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा नहीं करना चाहते है। लेकिन वादीगण वाद पत्र की आड में मिन प्रतिवादिनी संख्या 2 की जमीन पर अनाधिकृत रुप से कब्जा करना चाहते है। खसरा नम्बर 736 की सींव में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दिशा में नहीं हुआ है। और न ही हाल खसरा नम्बर 1181 की सीमा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन कानूनन व इन्साफन नहीं किया जा सकता है और न ही राजस्व रिकार्ड में नक्शों में किसी भी प्रकार का रद्दो बदल कानूनन नहीं किया जा सकता है। मिन प्रतिवादिनी संख्या 2 हाल खसरा नम्बर 1398, 1399, 1402 का काबिज खातेदार काश्तकार है। इसके रकबे में कानूनन किसी भी प्रकार की कोई रद्दो बदल नहीं की जा सकती है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा कानूनन सर्वे के दौराने सही रुप से राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे तैयार किये गये है। मिन प्रतिवादिनी व अन्य प्रतिवादीगण वादीगण की खातेदारी की भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे है और न ही करना चाहते है। मिन प्रतिवादिनी संख्या 2 को स्वयं की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1398, 1399, 1402 का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने व तारबन्दी करने का पूरा पूरा अधिकार प्राप्त है। जिससे कि मिन प्रतिवादिनी की खातेदारी की भूमि में वादीगण किसी भी प्रकार का कोई नुकसान स्वयं या मवेशीयों के द्वारा कारित न कर सके और न ही जंगली जानवर व मवेशी वगै0 मिन प्रतिवादिनी की काश्त को नष्ट भ्रष्ट कर सके। मिन प्रतिवादीगण खसरा नम्बर 1181 की किसी भी प्रकार की कोई पत्थरगढी व सीमाज्ञान नहीं करवाना चाहती है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व धारा 80 जा0 दी0 का नोटिस भी नहीं दिया है। इस कारण भी वादीगण का दावा चलने योग्य नहीं है। अतः वादीगण का वाद–पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

प्रकरण में तहसीलदार चौमूं से बिन्दुवार रिपोर्ट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट अनुसार तथ्य इस प्रकार है :–

1. प्रार्थीगण कानाराम रामलाल रामेश्वर भगवानसहाय पिता पूराराम हिस्सा 1/6 रुडमल गंगाराम पुष्पपुर पिता भूदाराम हि0 5/27 जडाव धर्मपत्नि स्व0 भूदाराम हि0 1/27 मोहरु पुत्र

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं (जयपुर)

न्ना हिस्सा 1/6 रामपाल सूज्या पिता बालू हिस्सा 1/2 जाति जाट ग्राम विजयनगर (हस्तेडा) के निवासी है तथा खसरा नम्बर 1181 के खातेदार है।

प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि गत खसरा नम्बर 724 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, ख0नं0 725 रकबा 9 बीघा ख0नं0 736 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 3 का कुल रकबा 28 बीघा 2 बिस्वा था जिसकी जमाबन्दी की नकल व खतौनी बन्दोबस्त संवत 2004 ल0 2023 की संलग्न है जिसके हाल खसरा नम्बर 1181 रकबा 7.12 है0 बने है।

3. अंकित भूमि पूर्व में संवत 2004 की खतौनी बन्दोबस्त में भवानी वल्द हरिनारायण व लल्लू वल्द दुर्गाप्रसाद हरिशंकर वल्द मालीराम ब्राम्हण के नाम थी जो वर्तमान में मद संख्या 1 में वर्णित खातेदारों के नाम से है।

4. उपरोक्त खसरा नम्बर 1181 रकबा 7.12 है0 पर मद संख्या 1 में वर्णित खातेदारों के नाम तथा कब्जा काश्त है।

5. उपरोक्त गत ख0नं0 724, 725, 736 का रकबा बरारी करने पर रकबा 28 बीघा 2 बिस्वा जिसको हैक्टेयर में परिणित करने पर 7.12 है0 होता है इन तीनो गत खसरा नम्बरों का जो वर्तमान खसरा नम्बर 1181 रकबा 7.12 है0 बना है। इस खसरा 1181 का रकवा बरारी करने पर रकबा 6.66 हैक्टैयर है अर्थात 0.46 है0 रकबा कम आता है। जिसकी स्थिति संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शायी गई है जो निम्नानुसार है।

(क) बिन्दु सं0 ऐ जिसका रकबा 0.20 है0 है खसरा नम्बर 1154, 1167, 1168, 1169, 1479, 1480 में जुडेगा तथा ख0नं0 1181 के रकबे से कम होगा। उक्त खसरा नम्बर भी वादीगणों के ही खातेदारी की भूमि है।

(ब) बिन्दु संख्या बी रकबा 0.03 है0 है वह रकबा खसरा नम्बर 1184 से कम होगा उक्त खसरा नम्बर भी वादीगणों की खातेदारी की भूमि है तथा ख0नं0 1181 में उक्त रकबा जुडेगा।

(ग) बिन्दु सं0 सी जिसका रकबा 0.37 है0 जो खसरा नम्बर 1399 में से कम होगा जिसकी खातेदारी पारा पुत्री चौथू अहीर के नाम से है यह रकबा खं0नं0 1181 से जुडेगा।

(घ) बिन्दु सं0 डी जिसका रकबा 0.23 है0 जो खसरा नम्बर 1402 के रकबे में से कम होगा जिसकी खातेदारी पारा पुत्री चौथू अहीर के नाम से है ख0नं0 1181 में जुडेगा।

(ड) बिन्दु संख्या ई जिसका रकबा 0.04 है0 है खसरा नम्बर 1181 के रकबा से कम होकर ख0नं0 1402 में 0.02 है0 जुडेगा तथा ख0नं0 1407 में 0.02 है0 जुडेगा तथा खं0नं0 1181 में से उक्त रकबा 0.04 है0 कम होगा।

(च) बिन्दु संख्या एफ जिसका रकबा 0.07 है0 है का रकबा 1181 में शामिल होगा तथा खसरा नम्बर 1410 में से उक्त 0.07 है0 रकबा कम होगा।

गत नक्शे के मुकाबले हाल नक्शे से मिलान करने पर संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये गये बिन्दु A से F तक कमी बेशी शुद्ध किया जाने योग्य है।

प्रकरण में दिनांक 30.05.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत हस्तेडा में वादी व प्रतिवादीगण 2,4,5 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर निवेदन किया की वादीगण व प्रतिवादीगण ग्राम विजयनगर हस्तेडा तहसील चौमूं के रहने वाले है व काश्तकार पेशा व्यक्ति है। ग्राम हस्तेडा, हाल ग्राम विजयनगर, तहसील चौमूं में वादीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमियां साबिक खसरा नम्बर 724, 725, 726, 727, 730 ता 740 कुल किता 15 का कुल रकबा 91 बीघा 5 बिस्वा से बने हाल खसरा नम्बर 1154, 1155, 1156, 1160, 1165 से 1171, 1176 से 1181, 1183 से 1190 कुल किता 25 का

सहायक कलेक्टर चौमूं (फास्ट ट्रैक) जिला जयपुर

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं (जयपुर)

कुल रकबा 23.09 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमियों के वादीगण एकमात्र खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार चले आ रहे है। तथा अन्य किसी का कोई लेना देना नही है। वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित आराजी के हाल सैटलमेन्ट में बने नये खसरा नम्बर 1181 रकबा 7.12 हैक्टेयर के साबिक 2 बिस्वा है लेकिन दौराने सैटलमेन्ट पुराने खसरा नम्बर 736 की दक्षिणी सींव को पूर्वी किनारे की ओर से उत्तर दिशा की ओर दबा दिया गया एवं नये खसरा नम्बर 1181 की पूर्वी किनाने की दक्षिणी सींव को पुराने इन्द्राज से परिवर्तित कर नयी सींव हाल नक्शे में कायम कर दी जबकि मौके पर नये खसरा नम्बर 1181 की स्थिति आज भी पुराने खसरा नम्बर 724, 725, 736 के अनुसार ही विद्यमान है। वाद पत्र में वर्णित हाल भूमि खसरा नम्बर 1181 रकबा 7.12 है0 की दक्षिणी सींव को बन्दोबस्त के पूर्व के गत खसरा नम्बर 736 के अनुसार दुरुस्त कर एवं राजस्व नक्शा हाल को गत नक्शे के अनुसार दुरुस्त किया जावें। विवादित भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बीच सीमा पर वादीगण गत नक्शे अनुसार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा वर्तमान में काबिज काश्त है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2,4 व 5 ने आपसी सहमति से मुताबिक राजीनामा अनुसार वाद पत्र को डिक्री करवाना चाहते है, जिससे भविष्य में किसी प्रकार का विवाद नहीं हो सके। वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति ऐतराज नहीं है। मुताबिक राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद पत्र डिक्री फरमाया जावें।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात प्रार्थना पत्र 136 की पत्रावली, जवाब दावा, तहसीलदार चौमूं की तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं राजीनामा का बगौर अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। मुताबिक तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त भूमि के हाल खसरा नम्बर 1181 का रकबा बरारी (क्षेत्रफल) करने पर 7.12 है0 के बजाय 6.66 है0 ही बनता है अर्थात 0.46 है0 क्षेत्रफल कम कर दिया गया है। गत नक्शे के मुकाबले हाल नक्शे से मिलान करने पर संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये गये बिन्दु A से F तक रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं के अनुसार कमी बेशी शुद्ध किया जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचनानुसार एवं न्यायालय अभिमत में वादीगण का वाद पत्र मुताबिक तहसीलदार चौमूं द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं राजीनामा दिनांक 30.05.2017 के अनुसार स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार जाकर आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1181 की दक्षिणी सींव को बन्दोबस्त के पूर्व के खसरा नम्बर 736 के अनुसार एवं मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं व राजीनामा के अनुसार दुरुस्त करें तथा हाल नक्शा में हुई त्रुटी को गत नक्शा अनुसार दुरुस्त किया जावें। साथ ही प्रतिवादीगण 1 ता 5 को स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त सींव खसरा नम्बर 1181 का सीमाज्ञान व पत्थरगढी नहीं करे, न ही पूर्व में कायम सींव में तोड फोड करें तथा वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा कारित नही करें। पर्चा डिक्री जारी हो। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 29.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0)चौमूँ

Scanned by CamScanner

मुकदमा सं0- 577/234/02
उनवान- मोहरू बनाम राज0 सरकार
निर्णय दिनांक- 29.08.2019

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फा0ट्रै0),चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी:- श्रीमती देवयानी(R.A.S.)

उनवान

1. मोहरु पुत्र मुन्ना,
2. भूदा पुत्र मुन्ना (मृतक दौराने वाद)
   2/1. रुडमल पुत्र स्व0 भूदा
   2/2 गंगाराम पुत्र स्व0 भूदा
   2/3 पप्पूराम पुत्र स्व0 भूदा
   2/4. जडाव देवी बेवा स्व0 भूदा
   2/5. गुलाब देवी पुत्री स्व0 भूदा
   2/6. रामेश्वरी देवी पुत्री स्व0 भूदा
   2/7. अणची देवी पुत्री स्व0 भूदा
   2/8. नान्छी देवी पुत्री स्व0 भूदा
   2/9. कमला देवी पुत्री स्व0 भूदा
3. सुन्दरी देवी पत्नि पूराराम (मृतक दौराने दावा)
   3/1. काना पुत्र पूराराम
   3/2. रामेश्वर पुत्र पूराराम
   3/3. रामलाल पुत्र पूराराम
   3/4. भगवानसहाय पुत्र पूराराम
4. रामगोपाल पुत्र बालू (मृतक दौराने वाद)
   4/1. मोहन पुत्र रामगोपाल
   4/2. हरफूल पुत्र रामगोपाल
   4/3. दौलतराम पुत्र रामगोपाल
   4/4. मदनलाल पुत्र रामगोपाल
   4/5. बीरबल पुत्र रामगोपाल
   5/1. चौथी पत्नि स्व0 सूज्या
   5/2. झूंथाराम पुत्र स्व0 सूज्या
   5/3. महादेव पुत्र स्व0 सूज्या
   5/4 पीताराम पुत्र स्व0 सूज्या
   5/5 सागरमल पुत्र स्व0 सूज्या
   5/6 गोपाल पुत्र स्व0 सूज्या
   5/7 कालूराम पुत्र स्व0 सूज्या
   5/8 फूलचन्द पुत्र स्व0 सूज्या
   5/9 बनवारी लाल पुत्र स्व0 सुज्या

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम विजयनगर, हरत्तेडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूधारक, तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. पारा देवी पत्नि प्रभात पुत्री चौथू
3. प्रभात पुत्र नामालूम (मृतक दौराने दावा)
4. रामलाल पुत्र प्रभात
5. जगदीश पुत्र प्रभात, समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम विजयनगर, हरत्तेडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर(राज0)।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मुकदमा नं0–577 / 234 / 02
उनवान– मोहरु बनाम राज0 सरकार
निर्णय दिनांक– 29.08.2019

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरुस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0:–577 / 234 / 2002 निर्णय दिनांक:– 29.08.2019

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू श्रीमती देवयानी आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि–

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार जाकर आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1181 की दक्षिणी सींव को बन्दोबस्त के पूर्व के खसरा नम्बर 736 के अनुसार एवं मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं व राजीनामा के अनुसार दुरुस्त करें तथा हाल नक्शा में हुई त्रुटी को गत नक्शा अनुसार दुरुस्त किया जावें। साथ ही प्रतिवादीगण 1 ता 5 को स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त सींव खसरा नम्बर 1181 का सीमाज्ञान व पत्थरगढी नहीं करे, न ही पूर्व में कायम सींव में तोड फोड करें तथा वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा कारित नही करें।

निजी ...x...मवलिक ....x.... बाबत ......x.......खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ....x....... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..x.... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 29.08.2019 को जारी किया गया।

मोहर दस्तखत ......

ओहदा...........

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूँ (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	1
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय हुक्मनामा	
7.बाबत इजराय हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	1

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2019.12.02 13:22:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: